मूल वाद में डिक्री

(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)

न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)

बईजलास – सुश्री अंजू शर्मा, आर0ए0एस0,

1. पप्पूसिंह पिता गोवर्धनसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क निवासी नाहरगढ, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ हाल मुकाम 56, सुभाष कॉलोनी चित्तौडगढ राज.
2. देउ कुंवर पुत्री गोवर्धनसिंह जी जाति राजपूत, उम्र वयस्क निवासी नाहरगढ, तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ हाल मुकाम 56, सुभाष कॉलोनी चित्तौडगढ राज.

.... वादीगण

॥ बनाम ॥

1. रामेश्वर पिता भैरू जाति गाडरी उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर,
2. मिठ्ठूलाल पिता भैरू जाति गाडरी उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर,
3. राधा पुत्री भैरू जाति गाडरी उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर, जिला चित्तौडगढ
4. मागी बाई पत्नि भैरू जाति गाडरी उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर,
5. माधु पिता शंकर जी जाति गाडरी उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर,
6. अमरी पुत्री शंकर जी जाति गाडरी उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर,
7. काली पुत्री छोगा जी जाति गाडरी उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर,
8. किशन पिता छोगा जी जाति गाडरी उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर,
9. चांदी पुत्री छोगा जी जाति गाडरी उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर,
10. माधु पिता छोगा जी जाति गाडरी उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर,
11. लीला पुत्री छोगा जी जाति गाडरी उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर,
12. हीरी बाई पत्नि छोगा जी जाति गाडरी उम्र वयस्क, निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर,
13. श्री सरकार जरिये तहसीलदार साहब भदेसर, जिला चित्तौडगढ (राज)

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रकरण सं0 87/2020

वादी की और से वकील श्री प्रवीण जोशी एवं प्रतिवादीगण की ओर से –(कोई नहीं) की उपस्थिति इस वाद को आज दिनांक 18.03..2021 .को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि ग्राम नाहरगढ तहसील भदेसर की साबिक खाता संख्या 220 पर दर्ज आ.नं. 759 रकबा 1–17 बीघा आ.नं. 772 रकबा 1–16 बीघा, आ.नं. 1031/761 रकबा 0–03 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 3–16 बीघा (नू0 प्रबन्ध से कायम नवीन आराजी नम्बर 915 रकबा 1.52 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 923 रकबा 0.46 हैक्टेयर में) पंजिकृत दस्तावेज दिनांक 23.05.1989 के आधार पर केता गोर्धनसिहं राजपूत के वारिसान वादीगण को 3 बीघा 16 बिस्वा के 1/2 हिस्सा भूमि के बराबर हक हिस्से भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है राजस्व रिकार्ड से उक्त सीमा तक विकेता के वारिसान प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर वादीगण को भूमि के खातेदार घोषित किये जाते है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि उक्त अनुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने तक भूमि को खूर्द बूर्द रहन बय बखशीश नहीं करें न अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करावें। चूंकि पंजिकृत दस्तावेज 08 वर्ष से अधिक पुराना होने से पंजियन एवं स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के तहत आलौच्य पंजिकृत विक्रय विलेख दिनांक 23.05.1989 पर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी राजकोष में जमा कराने के पश्चात् राजस्व रकार्ड में अमल दरामद किया जावे । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 18.03.2021 को डिग्री पर्चा मुद्रित किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.01 14:37:41 IST
Reason: SelfAttested

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, भदेसर–चित्तौडगढ

भदेसर, जिला–चित्तौ...

Scanned with CamScanner